न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुन

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 189/2025 दायर दिनांक–17.07.2025

1. मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार
2. विकास कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति नाई निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

– वादीगण

बनाम

1. अजय कुमार परसरामपुरिया पुत्र मधुसुदन परसरामपुरिया जाति महाजन निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.10.2025

वाद वादी दिनांक 13.08.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू0 अ0/2025/10027 दिनांक 21.10.2025 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम झाझड़ में भूमि खसरा नम्बर 277/443 रकबा 0.2137 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/2 विकास कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/2 जाति नाई साकिन देह खातेदार	2386/2377	0.1037	बारानी 1
2	अजय कुमार परसरामपुरिया पिता मधुसुदन परसरामपुरिया जाति महाजन सा0 देह खातेदार	2387/2377	0.1100	बारानी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:06 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि [illegible] राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप [illegible] नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible] से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

स.क. ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

पीठासीन अधिकारी :– सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.).

मुकदमा नम्बर 189/2025

दावा : घोषणा व विभाजन ।

(मंजू देवी बनाम अजय कुमार आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.10.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम झाझड़ में भूमि खसरा नम्बर 277/443 रकबा 0.2137 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/2 विकास कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/2 जाति नाई साकिन देह खातेदार	2386/2377	0.1037	बारानी 1
2	अजय कुमार परसरामपुरिया पिता मधुसुदन परसरामपुरिया जाति महाजन सा0 देह खातेदार	2387/2377	0.1100	बारानी 1

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:06 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं ......राजेन्द्र लाल मीणा......(नाम) तहसीलदार......नवलगढ़ न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ...नवलगढ़ के आदेश कमांक / राज.ल./2025/273 दिनांक 20/8/25 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 6/10/25 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 2377/443 वाके ग्राम झाझड़... पटवार हल्का ....झाझड़... पर श्री ...[illegible]...गिरदावर, सुनील सैनी पटवारी नायब तहसीलदार / भू. अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ में विचाराधीन प्रकरण संख्या-...189/2025 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार		65	नाई	वादी
2	विकास पिता महेन्द्र कुमार		32	नाई	-do-
3	अजय कुमार पिता मधुसुदन		26	महाजन	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का [illegible] मौका [illegible] गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम [illegible] से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये

	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार [illegible] पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/2 जाति नाई सा. [illegible] खातेदार	2386/2377	0.1037	बा I	0.51
		1	0.1037	बा. I	0.51
2	अजय कुमार परसरामपुरिया पिता मधुसुदन परसरामपुरिया जाति महाजन सा. [illegible] खातेदार	2387/2377	0.1100	बा I	0.54
		1	0.1100	बा I	0.54

(हस्ताक्षर) प. झाझड़ (हस्ताक्षर) तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:06 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा

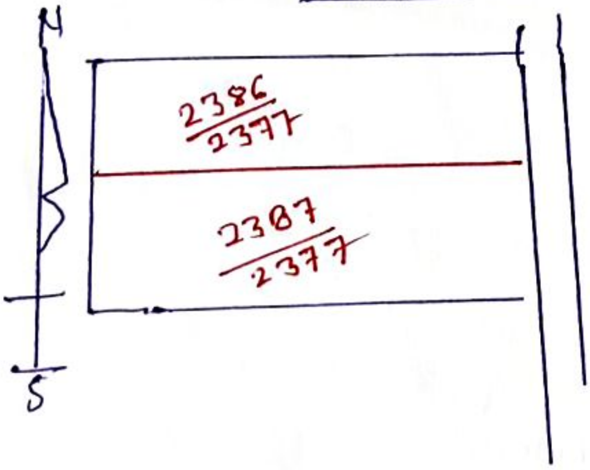

सुनीता कुमारी
6/10/2025
(प्र. आवेदक)

ग्रा. ...
6/10/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1	मंजू देवी	पत्नी महेन्द्र कुमार	नाई	मंजु देवी	वादी
2	विकास	पिता महेन्द्र कुमार	नाई	विकास	
3	अजय कुमार	पिता मधुसुदन	महाजन	अजय	

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
/		/		/	/

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..
1.	संजय कुमार	पिता मधुसुदन	30	[illegible]	9057459121
2	प्रमोद	पिता मधराम	63	[illegible]	9352641502

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:06 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आज दिनांक ..6/10/2025 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर पटवारी 	हस्ताक्षर 6/10/2025 भू अ निरीक्षक 	हस्ताक्षर 	हस्ताक्षर तहसीलदार

नक्शा ट्रैस ग्राम- झाझड़ तहसील- नवलगढ़

नक्शा- भू प्रबन्ध वर्ष 1979-80

पैमाना 1 से0 मी0 = 40 मीटर

अस्ताबिल

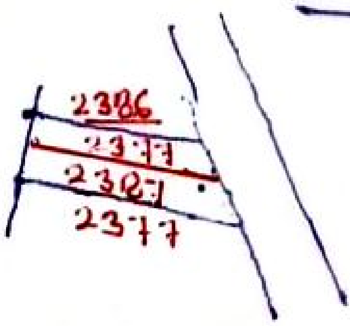

सत्य प्रतिलिपि

राजकार्य हेतु

सुशील कुमार

6/10/2025

(भू-अभि. नि.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:06 IST
Reason: SelfAttested